न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–2, लखीमपुर–खीरी

जमानत प्रार्थनापत्र सं0–251 / 2026
रजि0 सं0–669 / 2026
CNR No. UPLP01-001218-2026

नन्हें उम्र 35 वर्ष पुत्र जागेश्वर निवासी ग्राम कमालुद्दीन, थाना पिसावां, जिला सीतापुर। हालपता मड़िया रोडनई बस्ती कस्बा व थाना मैगलगंज, जिला खीरी।
—————————— अभियुक्त।

बनाम

राज्य —————————— —————————— विपक्षी।
मु0अ0सं0–221 / 2025
धारा–331(4), 305(ए) बी0एन0एस0
थाना–नीमगांव, जिला–लखीमपुर खीरी।

<u>दिनांक 06.03.2026</u>

संदर्भित जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त नन्हें की ओर से मु0अ0सं0–221 / 2025 धारा–331(4), 305(ए) बी0एन0एस0 थाना–नीमगांव जिला खीरी के मामले में स्वयं को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं तथा जमानत आवेदन के साथ शपथपत्र संलग्न है। प्रार्थी / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में यह कथन अंकित किया गया है कि अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र प्रथम है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

अभियुक्त ने जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया हैं कि प्रार्थी निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी को रंजिशन झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं है। प्रार्थी के उक्त वाद में जनता का कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी के पास कोई बरामदगी नहीं हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त वाद में सह अभियुक्त अजय चौधरी व मुश्ताक की जमानत स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी अपनी जमानत देने को तैयार है। अतः प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा स्वयं को दौरान मुकदमा उचित जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 31 / 01. 06.2025 की रात वादी मुकदमा कमलेश कुमार पाण्डेय अपने परिजनों के साथ छत पर लेटे हुए थे। दूसरे पड़ोसी के मकान से छत के रास्ते से चोर उसके घ ार में घुस आये, उसके कमरों के ताले तोड़कर उसका व बहुओं का जेवर 4 लर दो जोड झाला, दो जोड मांगबेंदी, 4 अंगूठी, 4 मंगलसूत्र व 4 बड़े माला व एक

जोड वाला सोने के व चार जोड जेवरी व चार जोड पायल चांदी की पचहर के बर्तन 5 लोटा, 3 कटोरा मालके कुछ कीमती कपड़े तथा 18000 रूपये नकद चुरा ले गये।

सुना तथा पुलिस प्रपत्र/केस डायरी का अवलोकन किया।

प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त नामजद अपराधी नहीं है। अभियुक्त के पास से माल मुकदमा की बरामदगी नहीं हुई है। अभियुक्त दिनांक 09.12.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। सहअभियुक्त की जमानत समकक्ष न्यायालय से हो चुकी है। अभियुक्त का कोई जघन्य अपराध से सम्बन्धित आपराधिक इतिहास पेश नहीं किया गया है। अतः मामले के गुणदोष पर टिप्पणी किये बगैर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त नन्हें द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 1,00,000/—रूपये (एक लाख रूपये) के निजी बंधपत्र व समान धनराशि का एक प्रतिभू संबंधित न्यायालय में दाखिल करने पर निम्न शर्तो का अनुपालन करने की अण्डरटेंकिग देने पर जमानत पर रिहा किया जाता हैं।

1. अभियुक्त मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं करेगा या उन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा।
2. अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।
3. अभियुक्त, अभियोजन साक्ष्य को नष्ट नहीं करेगा।
4. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा परिचालित परिपत्र सं0 19/एडमीन—जी—2 दिनांकित 03.07.2017 के अंतर्गत आपराधिक अपील सं0 2407/1986 सुखदेव बनाम सरकार में पारित निर्देश दिनांकित 17.12.2016 के तहत अभियुक्त के जमानतनामें को स्वीकृत करते समय प्रतिभूतिओं के स्थाई व अस्थाई पता विवरण के साथ प्रतिभूओं के शिनाख्ती प्रपत्र को भी पृथक से दाखिल किया जायेगा।

दिनांक 06.03.2026

अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं0—2, लखीमपुर—खीरी।
JO CODE No. UP6367

Digitally signed by MANOJ KUMAR SINGH
Date: 2026.03.06 16:33:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court